

उद्योग स्थापना के परियोजनाओं प्रस्तावों हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चैक लिस्ट

क्र0सं0	आवश्यक अभिलेख	हॉ / नहीं
1.	निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र।	
2.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर)।	
3.	प्रमोटर का स्थायी पता (राज्य का निवासी/राज्य के बाहर का)	
4.	प्रमोटर/संस्था के पद धारक का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।	
5.	इकाई क्षेत्र का पता (पर्वतीय क्षेत्र/मैदानी क्षेत्र)।	
6.	परियोजना प्रस्ताव का अप्रैजल करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था का नाम/पता तथा आख्या।	
7.	बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अप्रैजल का साक्ष्य।	
8.	बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की धनराशि।	
9.	पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण/आवेदन का साक्ष्य।	
10.	उद्योग विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का साक्ष्य।	
11.	भूमि का अभिलेख बैनामा (रजिस्ट्री) संस्था के नाम द्वारा डायरेक्टर होना चाहिए।	
12.	भू परिवर्तन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (जो जनपद के उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा धारा 143 के तहत जारी किया गया हो)।	
13.	कम्पनी/फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन साक्ष्य।	
14.	इकाई में कच्चे माल का उपार्जन (राज्य से/राज्य के बाहर से) की मात्रा कुन्तल में।	
15.	इकाई में क्या-क्या उत्पाद तैयार किये जायेंगे का विवरण एवं क्षमता।	
16.	राज्य के कृषकों से अनुबन्ध की प्रति (लिस्ट में हस्ताक्षर/अगूंठ निशानी मय खसरा खतौनी सहित)।	
17.	इकाई हेतु कच्चे माल के उपार्जन हेतु स्थापित किये जाने वाले संग्रहण केन्द्रों की सूची।	
18.	इकाई स्थापित किये जाने का ब्लू प्रिन्ट/साईट प्लान।	
19.	एफ0एस0एस0ए0आई0/रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण का प्रमाण/आवेदन का प्रमाण का साक्ष्य।	
20.	इकाई में रोजगार सृजन हेतु राज्य के बेरोजगारों को रोजगार न्यूनतम 70 प्रतिशत होना आवश्यक है, का प्रमाण-पत्र।	
21.	इकाई में प्रस्तावित रोजगार सृजन का विवरण— <ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रत्यक्ष— ❖ अप्रत्यक्ष— 	
22.	यदि इकाई का विस्तरीकरण है तो विस्तारीकरण के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा सम्परीक्षा का पिछले तीन साल का विवरण।	
23.	मदवार तथा लागतवार तकनीकी सिविल कार्यों का विवरण जो चार्टर्ड सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हो।	
24.	इकाई का प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरण का आपूर्तिकर्ता से कोटेशन जो कि चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।	
25.	उत्पादन हेतु विपणन की रणनीति।	
26.	प्रोसेस फ्लो चार्ट।	

क्र०सं0	आवश्यक अभिलेख	हॉ / नहीं																														
27.	<p>इकाई के क्रियान्वयन का विवरण—</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ भूमि अर्जन की तिथि— ❖ भवन निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि— ❖ भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि— ❖ प्लान्ट एवं मशीनरी को प्राप्त करने हेतु आदेश की तिथि 																															
28.	<p>प्लान्ट एवं मशीनरी को (i) स्थापित करने की तिथि,</p> <p>ii) द्रायल उत्पादन/चलाने की तिथि/</p> <p>(iii) वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि।</p>																															
29.	<p>नोन ज्यूडिशियल ₹100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो नोटरी से प्रमाणित हो—</p> <p>i- सहयूनिट/सम्बन्धित कम्पनी/ग्रुप कम्पनी द्वारा पूर्व में यदि खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया गया है तो उसका विवरण—</p> <p>ii- राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य किसी संस्था से इकाई पर सहायता ली गयी है या नहीं का विवरण—</p>																															
30.	<p>वित्त पोषण (मीन्स ऑफ फाइनेन्स)—</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ बैंक से कुल ऋण— <ul style="list-style-type: none"> i. टर्म लोन- ii. अन्य लोन ❖ प्रमोटर अंश— ❖ भारत सरकार/राज्य सरकार से प्रस्तावित अनुदान— ❖ अन्य— <p>इकाई की कुल लागत—</p>																															
31.	<p>परियोजना लागत एवं योग्यता</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं0</th> <th>परियोजना लागत मद</th> <th>प्रस्तावित लागत</th> <th>बैंक द्वारा मूल्यांकन लागत</th> <th>अनुमन्य लागत</th> <th>अनुमन्य लागत का 33. 33% या अधिकतम रु0 75.00 लाख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>भूमि की लागत</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>भवन एवं सिविल कार्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>प्लान्ट एवं मशीनरी</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>आवश्यक वर्किंग कैपिटल</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र० सं0	परियोजना लागत मद	प्रस्तावित लागत	बैंक द्वारा मूल्यांकन लागत	अनुमन्य लागत	अनुमन्य लागत का 33. 33% या अधिकतम रु0 75.00 लाख	1.	भूमि की लागत					2.	भवन एवं सिविल कार्य					3.	प्लान्ट एवं मशीनरी					4.	आवश्यक वर्किंग कैपिटल					
क्र० सं0	परियोजना लागत मद	प्रस्तावित लागत	बैंक द्वारा मूल्यांकन लागत	अनुमन्य लागत	अनुमन्य लागत का 33. 33% या अधिकतम रु0 75.00 लाख																											
1.	भूमि की लागत																															
2.	भवन एवं सिविल कार्य																															
3.	प्लान्ट एवं मशीनरी																															
4.	आवश्यक वर्किंग कैपिटल																															